Inspira- Journal of Modern Management & Entrepreneurship (JMME)
ISSN : 2231–167X, General Impact Factor : 2.3982, Volume 07, No. 04, October, 2017, pp. 313-318

लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवा करः सम्भावनाएँ एवं चुनौतियाँ

जयप्रकाश प्रजापति*

सार

प्रस्तुत शोध पत्र लघु उद्योग और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के अध्ययन से संबंधित है। जीएसटी भारत में हुए अब तक कर सुधारों में सबसे महत्त्वपूर्ण कर सुधार है, जो लंबे समय से लंबित रहा है। इसे अप्रेल 2010 से लागू किया जाना था, लेकिन राजनीतिक मुद्दों और विभिन्न हितधारकों के विरोधाभासी होने की वजह से अब जाकर लागू किया गया। यह एक व्यापक कर प्रणाली है जो केन्द्र एव राज्यों सरकारों के सभी अप्रत्यक्ष करों और एकीकृत अर्थव्यवस्था को एक निर्बाध राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश कराना हैं। यह उम्मीद है कि मौजूदा अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की कमियों को खत्म करना और भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जीएसटी भारत में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है जो सरकार के एजेण्ड , वित्त सलाहकार, सीए, बिजनेस मैन, उद्योगपतियों एवं अनेक विद्वानजनों के विचारों पर आधारित है। यह शोध पत्र विश्लेषणात्मक अध्ययन से संबंधित है। यह प्रपत्र 1 जुलाई, 2017 को जीएसटी अधिनियम लागु होने के बाद लघु उद्योगों पर होने वालें सकारात्मक व नकारात्मक प्रभावों को जानने के साथ साथ, लघु उद्योगों के विकास में जीएसटी से प्रभावित सम्भावनाओं एवं भविष्य में लघु उद्योगों को किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा, उस पर प्रकाश डालता है।

प्रमुख शब्दः जीएसटी, अप्रत्यक्ष कर, लघु उद्योग, निर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, टैक्स रिफॉर्म।

परिचय

लघु उद्योग : लघु उद्योग से हमारा अभिप्राय छोटे मोटे काम धंधे करने से है। जैसे गुड़ बनाना, मुर्गी पालना, मोमबत्ती बनाना, साबुन बनाना, सिलाई करना, बकरी पालना, दुग्ध उत्पादन करना इत्यादि। अर्थात ऐसे काम जो छोटे पैमाने पर शुरू किये जाते है। और यहाँ तक की घर से भी शुरू किये जा सकते है, लघु उद्योग कहलाते है।

उद्योगों को दो क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है।

1. **निर्माण क्षेत्र** (Manufacturing sector):– निर्माण के क्षेत्र में लगने वाले उद्योग (जमीन और बिल्डिग के खर्चे को छोड़कर) जो 25 लाख या 25 लाख से कम का निवेश लगाकर स्थापित किये गये है। अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते है। वे उद्योग जो 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम का निवेश कर स्थापित किये गए है। लघु उद्योग की श्रेणी में आते है। और वे उद्योग जिन्होंने 5 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम का निवेश कर उद्योग स्थापित किया है। मध्यम वर्ग उद्योग में सम्मिलित है।

2. **सेवा क्षेत्र** (Service sector):– वे उद्योग (जमीन और बिल्डिग के खर्चे को छोड़कर) जिन्होंने 10 लाख से कम का निवेश करके कम्पनी स्थापित कि हो, अति लघु उद्योग की श्रेणी में आते है। ऐसे उद्योग जिन्होंन 10 लाख से ज्यादा और 2 करोड़ से कम का निवेश करके कम्पनी स्थापित कि है। लघु उद्योग की श्रेणी में आते है। और ऐसे उद्योग जिन्होंने 2 करोड़ से ज्यादा और 5 करोड़ से कम का निवेश किया हो। मध्यम वर्गीय उद्योग में सम्मिलित माना गया है।

* शोधार्थी, लेखांकन विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) भारत देश में एक समान वस्तु एवं सेवा कर लागू करने वाला एवं भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्त्वपूर्ण माना जा रहा ऐतिहासिक, बहुप्रतीक्षित और बहुचर्चित 'संविधान (122 वां संशोधन) विधेयक 2014' है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) यानी वस्तु एवं सेवा कर को 1947 के बाद सबसे बड़ा कर सुधार (टैक्स रिफॉर्म) माना जा रहा है। भारत में वर्ष 2006–07 के आम बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया है। यह बिल 6 मई 2015 को लोकसभा में पास हो हुआ, जिसे राज्य सभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को पारित किया गया।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), भारत के कर ढ़ाँचें में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax) एक अप्रत्यक्ष कर कानून है। जीएसटी एक एकीकृत कर है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। वर्तमान में भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली जटिल है। अतः जीएसटी लागु होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में तब्दील हो जाएगा और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise) , सेवा कर (Service Tax), वैट, मनोंरजन, विलासिता, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो जायेगी। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। जीएसटी को पहली बार 1954 में फ्रांस ने पेश किया था और अब इसके बाद 140 देशों के द्वारा लागू किया गया है। अधिकांश देशों ने एकीकृत जीएसटी का पालन किया जबकि ब्राजील, कनाडा जैसे कुछ देशों में दोहरी जीएसटी प्रणाली का पालन किया गया है, जहां केद्र और राज्य दोनों में कर लगाया गया है। भारत में जीएसटी की दोहरी प्रणाली का प्रस्ताव है। जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी शामिल है। जीएसटी लागू होने के बाद 3 प्रकार के कर होंगे :

- सीजीएसटीः– जहां केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किया जाएगा।
- एसजीएसटीः– राज्य में बिक्री के लिए राज्य सरकारों द्वारा राजस्व एकत्र किया जाएगा।
- आईजीएसटीः– जहां अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजस्व एकत्र किया जायेगा।

ज्यादातर मामलें में, नए शासन के तहत कर संरचना निम्नानुसार होगीः

लेनदेन	नई प्रणाली	पुरानी व्यवस्था	व्याख्या
राज्य के भीतर बिक्री	सीजीएसटी + एसजीएसटी	वैट + केंद्रीय उत्पाद शुल्क / सेवा कर	राजस्व अब केंद्र और राज्य के बीच साझा किया जाएगा।
दूसरे राज्य को बिक्री	आईजीएसटी	केंद्रीय बिक्री कर + उत्पाद शुल्क / सेवा कर	अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में अब केवल एक प्रकार का कर (केंद्रीय) होगा।

साहित्य पुनरावलोकन

- एहतिशम अहमद और सत्य पोद्दार (2009) ने "भारत में माल और सेवा कर सुधार और अंतर सरकारी विचार "और पाया कि जीएसटी परिचय भारत में अर्थव्यवस्था की उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि के साथ सरल और पारदर्शी कर प्रणाली प्रदान करेगा। लेकिन जीएसटी के लाभ वस्तु एवं सेवा कर के तर्कसंगत डिजाइन पर गंभीर रूप से निर्भर है।
- डॉ. आर वसंतगोपाल (2011) ने "भारत में जीएसटीः अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में एक बड़ी छलांग" पर अध्ययन किया जिसमें उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि भारत में वर्तमान जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली से निर्बाध जीएसटी भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए सकारात्मक कदम होगा। जीएसटी की सफलता दुनिया में 130 से अधिक देशों और एशिया में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के एक नए पसंदीदा रूप से स्वीकृति की ओर ले जाएगी।
- Gogo mawuli (2014) ने "माल और सेवा कर एक मूल्यांकन" पर अध्ययन किया जिसमें उन्होंने बताया कि जीएसटी कम आय वाले देशों के लिए अच्छा नही है और गरीब देशों में व्यापक आधार प्रदान नही करता है। अगर फिर भी ये देश जीएसटी लागू करना चाहते है तो जीएसटी की दर विकास के लिए 10 प्रतिशत से कम होनी चाहिए।
- नितिन कुमार (2014) ने "गुड्स एवं सर्विस टैक्स ए फॉरवर्ड" पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला है कि भारत में जीएसटी के कार्यान्वयन को वर्तमान अप्रत्यक्ष कर प्रणाली द्वारा आर्थिक विरूपन हटाने में मदद मिली है। जिससे अपेक्षाकृत अप्रत्यक्ष कर ढ़ांचे को प्रोत्साहित करने की उम्मीद है जो भौगोलिक स्थानों के प्रति उदासीन है।

- पिंकी, सुप्रिया, कामना और रिचा वर्मा (2014) ने "भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए माल और सेवा कर पैनसाई" का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि भारत में नई एनडीए सरकार जीएसटी के कार्यान्वयन के प्रति सकारात्मक है और यह केंन्द्र सरकार के लिए फायदेमंद है। राज्य सरकार और साथ ही उपभोक्ता के लिए लंबे समय से चलने पर अगर इसके कार्यान्वयन को मजबूत आईटी बुनियादी ढ़ांचे पर आधारित किया गया है।

अनुसंधान प्रविधि

यह एक विश्लेषणात्मक अनुसंधान होने के नाते यह विभिन्न पुस्तकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं, लेख, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं एवं विभिन्न वेबसाइटों के प्रकाशनों से प्राप्त द्वितीय संमको पर आधारित है।

उद्देश्य

वर्तमान अध्ययन के मुख्य उद्देश्य निम्न है।

- लघु उद्योगों के विकास में जीएसटी की भूमिका अध्ययन करना।
- एमएसएमई पर जीएसटी के प्रभावों का अध्ययन करना।
- जीएसटी के बाद लघु उद्योगों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना।

अध्ययन की सीमाएं

अध्ययन कि पहली सीमा यह है कि जीएसटी भारत में अभी प्रारम्भिक अवस्था में है जो सरकार के एजेण्ड, वित्त सलाहकार, सीए, बिजनेस मैन, उद्योगपतियों एवं अनेक विद्वानजनों के विचारों पर आधारित है, न कि व्यावहारिक रूप में। अतः अध्ययन कि दूसरी सीमा यह है कि समंक काल्पनिक है, न कि वास्तविक ।

सम्भावनाएं

- **एक देश एक कर बाजार :**—देशवासियों को जीएसटी से सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पूरे देश में सामान पर एक ही टैक्स चुकाना होगा। इससे देशभर में सामान की कीमत एक ही रहेगी। देश में वस्तु और सेवा कर के माध्यम से अप्रत्यक्ष करों में एकरूपता आयेगी। हालांकि जीएसटी से आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जीएसटी की दर क्या रखी जाती है।
- **अप्रत्यक्ष करों में कमीः**—जीएसटी ऐसा टैक्स है, जो राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी सामान या सेवा की मैन्युफैक्चरिंग, बिक्री और उपयोग पर लगाया जाएगा। टैक्स विवाद कम होंगे और ढ़ेरों कानून और रेगुलेटरों का झंझट नही होगा। इस कर के लागू होने के बाद चुंगी, सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी), राज्य स्तर के सेल्स टैक्स या वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नआवर टैक्स, बिजली के इस्तेमान या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स इत्यादि खत्म हो जाएंगें।
- **कर प्रणाली का सरलीकरण :**—जीएसटी लागू होने से टैक्स संरचना में सुधार होगा। टैक्स भरना आसान हो जाएगा। इससे टैक्स की चोरी भी रूकेगी। किसी भी समान प्रोडक्ट पर लगने वाला कर एक सा रहेगा। इसका सीधा असर देश की जीडीपी पर पडेगा। देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी।
- **कर भुगतान की जटिलता में कमीः**—जीएसटी लागू होने से कम्पनियो की परेशानियां और खर्च कम होगा । एक ही वस्तु का अगल अगल टैक्स नही चुकाना होगा। व्यापारियों को सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई दिक्कत नही होगी। इससे सामान बनाने की लागत घटेगी।
- **नफा—नुकसानः**—जीएसटी के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही पक्ष है। इसके लागू होने से सामान तो सस्ता मिलगा, लेकिन कुछ सेवाएं महंगी हो जाएंगी। सेवाओं पर वर्तमान में 14.5 प्रतिशत टैक्स लगता है, जबकि जीएसटी के बाद यह 18 फीसदी या इससे अधिक हो सकता है। दूसरी ओर जिन वस्तुओं पर 25 से 30 प्रतिशत कर लगता है, उनमें उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इससे देश की जीडीपी में 2 प्रतिशत तक इजाफा हो सकता है।
- **वस्तुओं और सेवाओं की लागतों में स्थिरताः**—जीएसटी के लागू होने से पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा जिससे वस्तुओं और सेवाओं की लागत में स्थिरता आएगी एवं पूरे भारत में एक ही रेट

से टैक्स लगेगा जिससे सभी राज्यों में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत एक जैसी होगी। वर्तमान में एक ही वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार के अलग अलग टैक्स लगते है लेकिन जीएसटी आने से सभी वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही प्रकार टैक्स लगेगा जिससे वस्तुओं की लागत में कमी आएगी। हालांकि इससे सेवाओं की लागत बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह होगा कि जीएसटी लागू होने से केंद्रीय सेल्स टैक्स (सीएसटी), जीएसटी में समाहित हो जाएगा जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी आएगी।

- **हेरा फेरी की नही होगी गुंजाइशः**—सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग मण्डल के महासचिव ज्योतिर्मय जैन ने कहा कि वास्तव में समस्या औपचारिक और अनौपचारिक को लेकर है। अब तक काफी काम अनौपचारिक तौर पर होता रहा है, जबकि नई व्यवस्था में आपको यदि कर का क्रेडिट लेना है, तो आपको औपचारिक तौर पर पक्का बिल बनाना होगा। नई व्यवस्था पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत होगी जिसमें पूरा रिकॉर्ड होगा और हेरा फेरी की गुंजाइश नही रहेगी। उन्होने भी कहा कि नई व्यवस्था देशहित में है।
- **कर चोरी कमीः**—सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री कलराज मिश्र ने कहा कि लघु एवं मझोले उद्योगों को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से कर चोरी को घटाने और इंस्पेक्टर राज को खत्म करने में मदद मिलेगी। अर्थात कर चोरी पर लगाम के साथ कर वसूली भी बढ़ना तय है यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण कर सुधार हैं। लघु एवं मझोले उद्योगों को किसी बात से भयभीत होने की जरूरत नही है। हम सभी मद्दों के समाधान के लिए देशभर में कार्यशालाएं कर रहे है। सरकार ने नई कर व्यवस्था से जुड़ी सभी समस्याओं के समाधान के लिए जीएसटी प्रकोष्ठ बनाए है।
- **कर ढ़ांचे में सुधारः**—अप्रत्यक्ष करों के सबसे बड़े सुधार को कार्यान्वित करने की दिशा में सरकार द्वारा जरूरी वस्तुओं के लिए चार स्तरीय कर ढ़ांचे 5, 12 18 और 28 प्रतिशत की घोषणा पर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्योग से जुड़ी कम्पनियों ने कहा है कि इससे ग्राहकों पर करों के व्यापक प्रभाव दूर होगें और इससे उत्पादों की कीमतों में दक्षता आएगी। जीएसटी के माध्यम से करों की दरों में पारदर्शिता आयेगी क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो जायेगा। कंपनियों ने कहा है कि पूर्ण रूप से जीएसटी ज्यादातर उद्योगों और खासतौर पर ई—कॉमर्स के लिए निर्णायक साबित होगी। अनमोल बेकर्स लिमिटेड के प्रबध निदेशक गोविन्द राम चौधरी ने कहा कि 'हम देश के अन्दर लगभग 30 अलग अलग बाजारों की एक विरासत में जी रहे थे। मौजूदा परिवेश में हम विविध प्रकार के राज्यस्तरीय करों और लगभग 20 फीसदी दर के करारोपण के भारी बोझ तले दबे हुए थे।'
- **निश्चित राशि तक जीएसटी में फायदाः**—पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री के अप्रत्यक्ष कर समिति के चेयरमैन बिमल जैन ने छोटे व्यापारियों के सवाल पर कहा कि 20 लाख रूपये सालाना तक कारोबार करने वाले व्यापारियों पर जीएसटी लागू होने का कोई असर नही होगा। वह जिस तरह अपना कारोबार करते आ रहे है वैसे ही कारोबार कर सकते है, घबराहट की कोई बात नही है। जैन ने कहा कि ऐसा नही है कि दिक्कतें नही होगी, शुरूआती दौर में कुछ दिक्कतें आ सकती है लेकिन बाद में सभी को इसका फायदा होने वाला है। यही वजह है कि सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करते हुये कई तरह की राहत दी है।

चुनौतियां

- जीएसटी लागू होन के बाद देश एक नई व्यवस्था पर चलने लगा है। एक तरफ देशभर में जीएसटी के जश्न की तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं कहीं व्यापारी विरोध, भूख हड़ताल, प्रदर्शन और बाजार बंद भी कर रहे है। हमारे देश में सूक्ष्म उद्योगों के अलावा लघु उद्योग और मध्यम उद्योग भी है, इसी के साथ कुटीर उद्योग भी है। इन सभी सैक्टर्स की जरूरतें अलग अलग है। भारत एक ऐसा देश है जहां लोगों के हितों में भी भारी विविधता है, इसलिए कोई इसका समर्थन कर रहे है तो कोई इसका विरोध। बड़े उद्योगों को इससे फायदा होने वाला है, तो वह इसका समर्थन कर रहे है। मध्यम, सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को लगता है कि इससे उन्हें नुकसान होने वाला है, इसलिए वह इसका विरोध कर रहे है। सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां है। नोटबंदी के बाद 4—5 महीने छोटे उद्योग प्रभावित हुए, जिन्हें उभरने के लिए उन्हें अभी और वक्त की जरूरत है। दिहाड़ी मजदूर भी प्रभावित हुए। नकदी न होने से किसान भी प्रभावित हुए और कृषि मजदूर भी। छोटे कारखाने वालों ने कारीगरों को 2—3 महीने के लिए घर भेज दिया था। अब जाकर स्थिति सामान्य होने लगी है।

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कालेधन की समान्तर व्यवस्था को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों का देशभर में स्वागत हुआ और लोगों ने पीड़ा सह कर भी उनका साथ दिया। सरकार कालेधन के धंधे में लिप्त कम्पनियों पर कार्रवाई कर रही है। इससे आम आदमी संतुष्ट है। आम लोगों का मानना है कि पहली बार देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो तेजी से निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने में सक्षम है। सरकार के सामने नोटबंदी से भी ज्यादा चुनौतियां जीएसटी के बाद आ खड़ी हुई हैं। जीएसटी अब ट्रायल मोड़ से जमीन पर उतर आई है। छोटे उद्यमी, फैक्टरी वाले, दुकानदार, उद्योग से जुड़े अन्य सैक्टर आतंकित इस बात से है कि कहीं नोटबंदी के बाद उनके काम धंधे ठप्प हो गए थे, उसी तरह कहीं अब भी 3–4 महीने कामकाज में मंदा रहा तो वह बर्बाद हो जायेगे।
- अब देखना होगा कि जीएसटी लागू होने के बाद तकनीकी समस्याएं आएंगी या नही, आएगी भी तो कितनी आएगी। 3–4 महीने काम के बाद ही पता चलेगा कि चींजे किस तरह से काम कर रही है। जीएसटी का लागू होना स्वतंत्र भारत के उन फैसलों में से है जो भविष्य में ऐतिहासिक फैसला माना जाएगा। अगर कोई समस्या आती है तो उस पर सरकार को भी जवाबदेह होना होगा। जीएसटी में कम्प्यूटर और तकनीक का इस्तेमान जरूरी है। अगर यह कम्प्यूटराइज्ड नही होता तो यह लागू ही नही हो सकता है। कम्प्यूटराइजेशन में कई तरह की दिक्कतें है जो सामने आ रही है। राजस्थान और पंजाब के सीमांत क्षेत्रों में सारा कामकाज बहीखातों से ही होता है। उन्हें कम्प्यूटर पर कामकाज करने में अभी समय लगेगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में हर राज्य के लिए यह मौका था कि वे अपनी जरूरतों के मुताबिक टैक्स का फैसला कर सकते थे। नई व्यवस्था में स्थानीय निकायों की आमदनी का रास्ता क्या होगा? इस सवाल का जवाब आना बाकी है। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब समय के साथ आने शुरू हो जाएंगे। देखना यह है कि देश के छोटे उद्योग इससे प्रभावित नही हो। यदि सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्योग प्रभावित होते है तो बेरोजगारी का संकट और गहरा जाएगा।
- जीएसटी लागू होने के बाद कई सैक्टरों ने माल भेजना और मंगवाना बंद कर दिया है क्योंकि वे अभी जीएसटी के प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसका प्रभाव बाजार पर पड़ेगा, इसलिए सरकार को बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा। 1984 में जब राजीव गांधी कम्प्यूटर ला रहे थे तो लगभग हर विपक्षी दल और श्रमिक संगठन विरोध कर रहा था और कहा जा रहा था कि कम्प्यूटर आने से बेरोजगारी फैल जाएगी। आज कम्प्यूटर लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है। व्यापारी कम्प्यूटर रिकार्ड में नही आना चाहते। वे चाहते है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि जीएसटी के लाभ वह रिकार्ड में आये बिना हासिल नही कर सकते। सभी को चाहिए कि वे सहनशीलता से इसे समझें और आगे बढ़ें। सरकार को भी उद्योग और बाजार पर पैनी नजर रखनी होगी।
- देश के अग्रणी उद्योग मंडल एसोचैम ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्योगों (एमएसएमई) के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा देगा। एसोचैम ने देशभर में लागू हो चुकी इस अप्रत्यक्ष कर प्रणाली पर अपनी एक रिपोर्ट भी पेश की है। एसोचैम और अश्विन पारेख एडवाइजरी सर्विसेज (एपीएएस) द्वारा संयुक्त रूप से किए गए 'इमर्जिग मंत्राज फॉर बैंकर्स बॉरोअर्स ' शीर्षक वाले इस अध्ययन में कहा गया है, "एमएसएमई के लिहाज से जीएसटी मौजूदा कर प्रणाली की तुलना में काफी सकारात्मकता लाएगा। जिनमें इनपुट क्रेडिट हासिल करने की सुविधा, एकल बिंदू कर, कई स्तरों पर लगाने वाली कर प्रणाली का खात्मा और कर चुकाने की सहज प्रक्रिया शामिल है।" एसोचैम ने हालांकि यह भी कहा कि देश की अधिक से अधिक आबादी को कर प्रणाली के अधीन लाने और अधिक से अधिक एमएसएमई उद्योगों तक इसकी पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई जीएसटी से कर चुकाने का बोझ और उससे संबद्ध लागत भी बढ़ेगी। उद्योग मंडल का कहना है कि "लेकिन अंततः इससे एमएसएमई उद्योगो के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और बड़े उद्योगों तथा एमएसएमई उद्योगो के बीच लड़ाई का मैदान एक होगा।"
- राज्यों को हुए नुकशान की भरपाई कैसी होगीं। यदि भरपाई हुई तो क्या राज्य इसे स्वीकार कर लेंगे।
- जीएसटी के लिए सरकारी मशीनरी अभी तैयार नही है। प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के चलते कर्मचारियों को ट्रेनिंग कौन और कब देगा, इस पर बात होनी बाकी है।
- कर चोरी पर नियंत्रण के लिए स्पष्ट तंत्र का न होना।

- जीएसटी के प्रभाव का सही आकलन करने में कठिनाइयां।
- केन्द्र और राज्य के बीच टैक्स बंटवारे को लेकर भी सवाल है।

निष्कर्ष

उपर्युक्त चर्चा से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम भारत में हुए अब तक कर सुधारों में सबसे महत्त्वपूर्ण कर सुधार है। जीएसटी को 1 जुलाई, 2017 को लागू करने के बाद आज इसकी स्थिति उसी प्रकार है जिस प्रकार नोट बंदी प्रारम्भ के दौरान हुई थी। अभी लोगों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, बुद्धिजीवियों में चिंता का विषय है कि जीएसटी से भविष्य में सकारात्मक परिणाम के साथ साथ कोई बड़े नकारात्मक परिणाम सामने ना आ जाये। जीएसटी लागू होने से एक देश एक कर बाजार होगा। जिससे अनावश्यक अप्रत्यक्ष करों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही केन्द्र और राज्य में वस्तु और सेवा पर लगने वाली कर की दरों में समानता आयेगी। बार बार टैक्स लगने से वस्तु और सेवाओं की लागत में बढ़ोतरी हो जाती थी, जिससे वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाती थी। अब जीएसटी लगने से वस्तुऐ सस्ती तथा सेवाऐ महंगी हो सकती है। इससे देश की जीडीपी में 2 प्रतिशत तक वृद्धि होने सम्भावना से भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलेगी।

सुझाव

किसी भी शहर के विकास का मापदंड वहां के औद्योगिक विकास पर निर्भर करता है। जहां पर जितने अधिक उद्योग संचालित होंगे। वहां की विकास दर उतनी ही अधिक रहेगी। भले ही वह वृहत स्तर के उद्योग हो या लघु स्तरीय उद्योग। जीएसटी व्यवस्था लागू होने से ग्रामीण और शहर के औद्योगिक विकास, आयात–निर्यात कारोबार पर शुरूआत में कुछ परेशानियां हो सकती है, लेकिन बाद में इसके लाभ सामने आने लगेंगें। इस व्यवस्था से देश में जुगाड़बाजी पर अंकुश लगेगा और बिना हिसाब किताब वाले लेनदेन कम होगें जो कि देशहित में होगा। अतः सरकार के लिए उचित प्रशिक्षण, सेमिनार और जीएसटी पर कार्यशाला आयोजित करने की आवश्यकता है। अतः प्रशिक्षित कर्मचारियों की मदद से जनता एवं उद्योगपतियों, व्यापारियों के मध्य जागरूकता का प्रचार प्रसार करना तथा जीएसटी के फायदों और नुकसान को भी बताया जाये। जिससे जीएसटी को भारतीय अर्थव्यवस्था के सन्दर्भ में सफल बनाया जा सकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ

- Agogo Mawuli (2014): "Goods and Service Tax- An Appraisal"Paper presented at the the PNG Taxation Research and Review Symposium, Holiday Inn, Port Moresby, 29-30.
- Dr. R. Vasanthagopal (2011), "GST in India: A Big Leap in the Indirect Taxation System", International Journal of Trade, Economics and Finance, Vol. 2, No. 2, April, 2011.
- Ehtisham Ahamad and Satya Poddar (2009), "Goods and Service Tax Reforms & Intergovernmental Consideration in India", "Asia Research Center",LSE, 2009.
- Nitin Kumar (2014), "Goods and Service Tax in India-A Way Forward", "Global Journal of Multidisciplinary Studies", Vol 3, Issued, May 2014.
- Pinki, Supriya Kamna, Richa Verma(2014), "Good and Service Tax – Panacea For Indirect Tax System In India", "Tactful Management Research Journal",Vol2, Issue 10, July, 2014.
- https://en.wikipedia.org/wiki/Goods_and_Services_Tax_(India)_Bill
- www.gstindia.com/basics-of-gst-implementation-in-india/
- wwww.taxguru.in/goods-and-service-tax/goods-service-tax-gst-2.html
- www.laghuudyog.com
- www.msme.com

❑❑❑